

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 974

08 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

रक्षा भूमि की नीलामी

974. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का देशभर की रक्षा भूमि की नीलामी करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त भूमि की नीलामी के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) महोदय, नहीं ।

(ग) उपलब्ध रक्षा भूमि का उपयोग केवल वास्तविक रक्षा प्रयोजनों और देश की सामरिक तथा संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है । अपर्युक्त भूमि का उपयोग प्राथमिक रूप से सेनाओं की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है । तथापि, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के दिनांक 02.02.2016 और 21.10.2020 के पत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि रक्षा भूमि का हस्तांतरण प्रयोक्ता सेवा के अनिवार्य कार्यों पर समझौता किए बिना अथवा अपने अनिवार्य कार्यों को आसानी से करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को सक्षम बनाने के उचित वैकल्पिक प्रावधानों को बनाते हुए किया जाएगा, सार्वजनिक अवसंरचना/उपयोगिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए सरकारी विभागों से प्राप्त अनुरोधों पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है । उक्त हस्तांतरण पर समान मूल्य का विनिमय अथवा नकद क्षतिपूर्ति अथवा समान मूल्य के अवसंरचना के आधार पर विचार किया जाता है ।
